न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर, म.प्र.

रा.पुनरीक्षण याचिका क्र निगरानी 2622 - PBR/12/2015
श्रवण दिनांक 12/08/15.

(54)

1. राजू उम्र लगभग 35 वर्ष पिता शंकरलाल मोरे कृषक ग्राम नसीराबाद, निवासी आलमगंज शहर तहसील व जिला बुरहानपुर
----- पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. बाबुलाल पिता पूनमचंद सावले
2. नन्दुलाल पिता शंकरलाल मोरे
3. रूकमणीबाई पति शंकरलाल मोरे

क्र 1 लगायत 3 कृषक ग्राम नसीराबाद निवासी आलमगंज सिंधीपुरा गेट बुरहानपुर म.प्र.

4. प्रभाकर पिता कालूराम भारते
5. नारायण पिता मारूती कोचेकर
6. संतोष पिता राजाराम पाटील
7. संजू पिता किसन भोई
8. मधु पिता बुधा
9. मोती पिता कालु
10. गिरधर पिता देवचंद
11. रमेश पिता सुका

क्र 4 लगायत 11 निवासी ग्राम नसीराबाद तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर म.प्र.

12 देवीदास पिता सीताराम आमोदे निवासी ग्राम निम्ना तहसील नेपानगर जिला बुरहानपुर म.प्र.

---- प्रत्यर्थीगण / उत्तरदाता / अनावेदकगण

13.8.15

13/8/15

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.स. 1959

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता द्वारा यह याचिका अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय नेपानगर जिला बुरहानपुर म.प्र. द्वारा उनके समक्ष प्रचलित **राजस्व प्रकरण क्र 8–'अ/13 सन 2014–15 (बाबुलाल वगैरा वि. राजू शंकरलाल मोरे)** मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30.06.2015 से व्यथित एवं पीडित होकर विभिन्न तथ्यात्मक एवं विधिक आधारो पर न्यायिक निराकरण हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है।

पुनरीक्षण याचिकाकर्ता निम्नानुसार निवेदन करता है कि :–

प्रकरण कें संक्षिप्त तथ्य

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **निगरानी 2622-पीबीआर/2015 जिला बुरहानपुर**

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-02-19	आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। अनावेदक क्रमांक 2 व 3 की ओर से श्री कुवंरसिंह कुशवाह अधिवक्ता उपस्थित । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 22-4-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । रीडर अध्यक्ष	